107/2021/I/95659/2021-71-2099/262/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक ,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 सितम्बर, 2021

विषयः-संस्थान के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में सेन्ट्रल ए0सी0 कार्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को प्रभावी जी0एस0टी0 का भुगतान करने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-5764/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/विद्युत/2020-21, दिनांक 25 मार्च, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में सेन्ट्रल ए0सी0 कार्य के अंतर्गत जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 1,18,60,883.00 अवमुक्त किये जाने किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 93,70,097.57 तथा अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) से रू0 24,90,785.43 अर्थात कुल रू0 1,18,60,883(रूपये एक करोड अठारह लाख साठ हजार आठ सौ तिरासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त अधिकारी, संस्थान द्वारा जी0एस0टी 0के नियमों के अधीन जी0एस0टी 0की वास्तविक धनराशि का आंकलन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
3. निदेशक/वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी 0के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी 0मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी 0की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।
4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्य के तहत कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक ,डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 22-2021के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ‘‘4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमतीनगर,लखनऊ -24-वृहत् निर्माण कार्य ‘‘से रू0 93,70,097.57 तथा अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-28-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' से रू0 24,90,785.43 के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या/2021/3-बी/375-1-दस2021--231/2021, दिनांक 22,मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार,) लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) वित्त नियंत्रक ,डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,लखनऊ ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त) आय-व्ययक (अनुभाग2-
7) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in